कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of interest)

नगर निगम, देहरादून के शंकरपुर स्थित गौसदन में आश्रित पशुओं के भरण–पोषण एवं सेवा–सुश्रुषा के प्रबन्धकीय कार्यो हेतु सचिव, पशुपालन अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के ई पत्र संख्या–36254/XV-I/23/7(14) 22 दिनांक 26 जून, 2023 में जारी मानक संचालन प्रकिया (SOP) में वर्णित प्राविधानों अनुसार गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से प्रति पशु प्रतिदिन की दर से कराये जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदक संस्थाओं से अनुरोध है कि वे अभिरूचि की अभिव्यक्ति की शर्ते व नियमों का अध्ययन नगर निगम, देहरादून के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस या नगर निगम देहरादून की वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com से प्राप्त कर सकते हैं।

विस्तृत प्रस्ताव नगर निगम की ईमेल आई डी–nagarnigam.ddn@gmail.com या नगर निगम, देहरादून के कार्यालय में दिनाँक 25/07/25 को अपराह्न 4:00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः– 67 (V.A) दिनॉकः– 11/07/2025

1. सम्पादक अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित प्रतिशत** छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक राष्ट्रीय सहारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित प्रतिशत** छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आई0टी0 अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना नगर निगम की वेब साईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

नगर निगम, देहरादून (पशुचिकित्सा अनुभाग)

नगर निगम, देहरादून के शंकरपुर स्थित गौसदन में आश्रित पशुओं के भरण–पोषण एवं सेवा–सुश्रुषा के प्रबन्धकीय कार्यों हेतु आवेदन की शर्ते व नियम

1. आवेदक संस्था द्वारा नगर निगम के शंकरपुर स्थित गौसदन में आश्रित पशुओं का भली–भाँति भरण–पोषण व सेवा–सुश्रुषा एवं घायल बीमार पशुओं की देखभाल व उपचार आदि का कार्य किया जायेगा।
2. शंकरपुर स्थित गौसदन के संचालन हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन स्वीकार होंगे जोकि:– सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्था हो अथवा पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भरतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हों।
3. आवेदक संस्था को कम से कम 100 गौवंश पशुओं की गौशाला चलाने का 02 वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र एवं उसके साक्ष्य होना अनिवार्य है।
4. आवेदक संस्था को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से ब्लेकलिस्ट नहीं है।
5. आवेदक संस्था के पास पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।
6. आवेदक संस्था द्वारा विगत 1 वर्ष की फर्म की बैलेंस शीट (Audited balance sheet) अथवा Profit and loss statement प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. आवेदक संस्था ब्लेकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक संस्था के विरूद्ध एफ0आई0आर0/गोहत्या/गो–तस्करी/पशुक्रूरता से संबंधित अपराध संबंधी कोई अभियोग पंजीकृत नहीं होना चाहिए जिसका सम्बन्धित थाने से प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. नगर निगम देहरादून के शंकरपुर स्थित गौसदन में केवल उन्हीं पशुओं को शरण दी जाएगी जिन्हें नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। संस्था द्वारा अपने स्तर से किसी भी पशु को शरण नहीं दी जाएगी।
10. आवेदक संस्था किसी भी पशु को गौसदन के बाहर कय/विकय/अन्य संस्था को स्वयं से नही दे सकेगी। पशुओं का विकय/एडोप्शन/नीलामी/चालान की कार्यवाही नगर निगम द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
11. आवेदक संस्था द्वारा विधिमान्य रीति से मृतक गौवंश का निस्तारण स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक पशु का मृत्यु प्रमाण–पत्र क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
12. पशुओं की संख्या एवं मृत्यु सम्बन्धी अभिलेख आवेदक संस्था द्वारा अनुरक्षित करना होगा।
13. प्रत्येक पशु की टेगिंग (पहचान) नगर निगम द्वारा की जायेगी व मृत पशु का कर्ण छल्ला आवेदक संस्था द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराना होगा।
14. अनुबंध हो जाने के उपरांत भी गौसदन के संचालन हेतु अन्तिम निर्णय मा0 नगर निगम बोर्ड व नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून में निहित होगा।

15. समस्त आवेदक संस्था उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तद्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
16. संस्था के प्रस्तावानुरूप निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।
17. आवेदक संस्था द्वारा गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।
18. आवेदक संस्था द्वारा गोवंश के उचित भरण–पोषण/देख–रेख एवं प्रबन्धन तथा अन्य समस्त व्ययों को अनुदान में दी गयी राजकीय सहायता से अतिरिक्त व्यय होने पर गोसदन स्वयं के संसाधनों से अथवा धमार्थ/दान के माध्यम से निर्वहन करने हेतु स्वतन्त्र होगी।
19. आवेदक मान्यता प्रदत्त पशुकल्याण संस्था से रू0 100/– के अनुबंध पत्र में यह लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग गोसदन द्वारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही सदुपयोग किया जायेगा।
20. गोसदन मे क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, पशुचिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग के माध्यम से विस्थापित किया जायेगा।
21. गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदन में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।
22. जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
23. अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष की होगी। 3 वर्ष की समाप्ति उपरांत संतोषजनक कार्य रहने की दशा में अनुबं को आपसी सहमति एवं सुसंगत नियमों के आधार पर बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
24. आवेदक संस्था द्वारा अपना प्रस्ताव नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के नाम से भेजनी आवश्यक हैं, वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून कार्यालय कक्ष संख्या–12 में जमा किया जायेगा। वि अन्य अधिकारी के नाम प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जायेगी।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद देहरादून होगा।
26. किसी भी शर्त के उल्लघंन पर नगर निगम को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर दें।

27. इच्छुक आवेदक संस्थायें अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) हेतु आवेदन की शर्तें व नियमों का अध्ययन नगर निगम, देहरादून के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या–12 से किसी भी कार्यदिवस या नगर निगम देहरादून की वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक संस्थाओं द्वारा अपना विस्तृत प्रस्ताव नगर निगम की ईमेल आई डी– nagarnigam.ddn@gmail.com या नगर निगम, देहरादून के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या–12 में दिनाँक .... को अपराह्न 4:00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मैने उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य करने हेतु सहमत हूँ/हैं। मैंने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये हैं व समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर ....

आवेदक संस्था का नामः ....

संस्था का पताः ....

मो0न0..